

मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी  
प्रकरण सं. 58/2021 वादपत्र धारा 88 आर.टी.एक्ट.

- 1-शंकर पिता कालू मेघवाल नि. मानपुरा (महुड़ा) तह. बड़ीसादड़ी ।
- 2-खेमराज पिता कालू मेघवाल नि. मानपुरा (महुड़ा) तह. बड़ीसादड़ी ।
- 3- शान्तिलाल पिता कालू मेघवाल नि. मानपुरा (महुड़ा) तह. बड़ीसादड़ी ।
- 4-सुरेश पिता कालू मेघवाल नि. मानपुरा (महुड़ा) तह. बड़ीसादड़ी ।

—वादीगण

बनाम

- 1- कालू पिता उंकार मेघवाल नि. मानपुरा (महुड़ा) तह. बड़ीसादड़ी
- 2- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

—प्रतिवादीगण


वादीगण की ओर से वकील श्री जी.एस. झाला तथा प्रतिवादी नं. 1 की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा मानपुरा पटवार हल्का महुड़ा कि आराजी 101, 15, 316, 317, 82 कुल किता 5 रकबा 1.2600 हैक्ट. तथा आराजी नं. 323, 326, 327 कुल किता 3 रकबा 1.0700 हैक्ट. भूमि में वादी शंकर का 1/5 हक हिस्सा, वादी क्रमांक 2 खेमराज का 1/5 हक हिस्सा, वादी क्रमांक 3 शान्तिलाल का 1/5 हक हिस्सा, वादी क्रमांक 4 सुरेश का 1/5 एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 कालू का 1/5 हक हिस्सा अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित..... को दी जावे।  
यह आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



मोहर

  
(प्रवीण कुमार मीणा)RAS  
आर.ए.एस  
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2024/

दिनांक : /12/2024

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।



  
(प्रवीण कुमार मीणा)RAS  
आर.ए.एस  
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

